भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3724

16.03.2026 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण के स्रोत को चिह्नित करने संबंधी अध्ययन

3724. श्री कीर्ति आज़ाद :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार दिल्ली-एनसीआर और देश में वायु प्रदूषण के कारणों और उनके सापेक्ष योगदान को वर्गीकृत करने के लिए कोई स्रोत को चिह्नित किए जाने और इनके प्रभाजन संबंधी कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) ऐसी कार्रवाई पहले न करने के क्या कारण हैं और क्या प्रदूषण के स्रोतों को समझे बिना सार्थक समाधान प्राप्त किए जा सकते थे;

(ग) क्या सरकार ने प्रदूषण की तीव्रता को कम करने के लिए कोई दीर्घकालिक क्षेत्रीय योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकायों में राज्यवार/ संघ राज्यक्षेत्रवार स्वीकृत किए गए, भरे हुए और रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में रिक्त पदों (तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों सहित) की संख्या की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसके क्या कारण हैं; और

(च) प्रदूषण नियंत्रण निकायों द्वारा इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए किए गए/ किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है और उनमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शहरों की कार्ययोजनाओं में वायु प्रदूषण के विभिन्न कारकों की पहचान करने तथा वायु गुणवत्ता सुधार के उपायों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से स्रोत विभाजन अध्ययन किए गए हैं। एनसीएपी के तहत दिल्ली सहित 90 शहरों में ऐसे अध्ययन कराए गए हैं।

विभिन्न शहरों में किए गए स्रोत विभाजन अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया कि PM10 सांद्रता में प्रमुख योगदान देने वाले स्रोतों में सड़क की धूल और निर्माण गतिविधियाँ (14-58%), वाहन उत्सर्जन (10-33%), औद्योगिक स्रोत (8-34%), तथा कचरा/बायोमास जलाना (8-29%) शामिल हैं।

दिल्ली के लिए वर्ष 2018 में "दिल्ली-एनसीआर में PM2.5 एवं PM10 का स्रोत अपविभाजन - प्रमुख स्रोतों की पहचान हेतु" शीर्षक से एक स्रोत विभाजन अध्ययन किया गया था।

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में दिनांक 06.01.2026 के अपने आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों की पहचान करने का निर्देश दिया।

माननीय उच्चतम न्यायालय के इन निर्देशों के अनुपालन में, सीएक्यूएम ने 'दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई के बिगड़ने के कारणों की पहचान' विषय पर वायु गुणवत्ता विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

इसके अलावा, पूर्व के अध्ययनों में पाए गए अंतर तथा दिल्ली-एनसीआर में प्रभावी वायु गुणवत्ता प्रबंधन विकसित करने के लिए एक एकीकृत और डेटा-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने आयोग के ही एक पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में एक स्टीयरिंग समिति का गठन किया। इस समिति में नीरी, सीपीसीबी, एचएसपीसीबी, आरएसपीसीबी, यूपीपीसीबी, डीपीसी, आईआईटी कानपुर, आईआईटीएम पुणे, यूएनईपी दिल्ली, एआरएआई पुणे, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सदस्य शामिल थे। विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर, सीएक्यूएम ने अप्रैल 2025 में दिल्ली-एनसीआर के लिए उत्सर्जन सूची और स्रोत विभाजन हेतु एक रूपरेखा तैयार की। इस रूपरेखा में परिवहन, उद्योग, घरेलू क्षेत्र, फसल अवशेष जलाना, सड़क की धूल तथा कचरा जलाना जैसे प्रमुख प्रदूषणकारी क्षेत्रों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन उत्सर्जन मानचित्रण (500 मीटर × 500 मीटर ग्रिड) का प्रावधान किया गया है, जैसा कि इस रिपोर्ट में वर्णित है। आयोग ने इस रूपरेखा के क्रियान्वयन का कार्य सीपीसीबी को सौंपा है। इसके लिए एआरएआई, पुणे के नेतृत्व में चार संस्थानों के एक संघ को यह कार्य प्रदान किया गया है, जिसमें आईआईटी दिल्ली, टेरी और आईआईटीएम पुणे साझेदार के रूप में शामिल हैं। इस संघ को दिल्ली-एनसीआर के लिए नई उत्सर्जन सूची और स्रोत अपविभाजन अध्ययन तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

(ग): सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को देशभर के 130 गैर-प्राप्ति तथा दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति के रूप में शुरू किया है। एनसीएपी के अंतर्गत 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और 130 शहरों ने क्रमशः राज्य कार्ययोजना तथा शहर-विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्ययोजनाएँ तैयार की हैं, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। इन योजनाओं में दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक क्षेत्रीय कार्यों को शामिल किया गया है, साथ ही संबंधित उत्तरदायी एजेंसियों को भी निर्धारित किया गया है, ताकि मिट्टी एवं सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, ठोस अपशिष्ट जलाना, निर्माण सामग्री तथा उद्योग आदि जैसे विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित किया जा सके।

एनसीएपी तथा 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता अनुदानों के अंतर्गत, वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए 130 शहरों को महत्वपूर्ण अंतराल वित्तपोषण के रूप में प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन अनुदान के तौर पर 13,865.52 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

130 शहरों में एनसीएपी के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय, राज्य तथा शहर स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो विभिन्न हितधारक एजेंसियों/विभागों/मंत्रालयों द्वारा कार्ययोजनाओं पर हुई प्रगति के समन्वय, निगरानी तथा मूल्यांकन का कार्य करती हैं।

इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार तथा पंजाब सरकार ने वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों को नियंत्रित करने हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक गतिविधियाँ तैयार की हैं।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य विभिन्न उपाय **अनुलग्नक-I** में दिये गए हैं।

(घ) से (च): केंद्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) में स्वीकृत, कार्यरत और रिक्त पदों का राज्यवार विवरण, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी शामिल है, **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

एसपीसीबी/पीसीसी में रिक्त पदों को संबंधित पदों के लिए लागू भर्ती नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती, प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से, भरा जाता है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे एसपीसीबी/पीसीसी में रिक्त पदों को शीघ्र भरें।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 27 जनवरी 2026 को अधिसूचना सा.नि.62(अ.) वायु प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026 तथा सा.नि.62(अ.) जल प्रदूषण नियंत्रण (सहमति प्रदान करना, अस्वीकार करना या रद्द करना) संशोधन दिशानिर्देश, 2026 के माध्यम से समान सहमति दिशानिर्देशों में संशोधन अधिसूचित किए हैं, ताकि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू सहमति तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा सके। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत उद्योगों द्वारा सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदनों के प्रसंस्करण हेतु उद्योगों द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन और स्थल निरीक्षण के लिए पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों को भी अनुमति है, जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों के अतिरिक्त होंगे।

समान सहमति दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए एकीकृत सहमति एवं प्राधिकरण प्रबंधन प्रणाली नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है, जो पूरे देश में सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए जारी किए जाने वाले 'स्थापना की सहमति' और 'संचालन की सहमति' से संबंधित आवेदनों के प्रसंस्करण में सुविधा प्रदान करता है। यह ऑनलाइन एकीकृत पोर्टल न केवल सहमति प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है, बल्कि अनेक प्रकार के आवेदन और अनुमतियाँ भरने तथा उनके प्रसंस्करण के बोझ को भी कम करता है।

अनुलग्नक-I

वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपाय

1.0 **वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु किए गए उपाय:**

- दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2018 से और देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 अप्रैल, 2020 से बीएस-4 से बीएस-6 ईंधन मानकों पर बढ़त।
- अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस 6 के अनुरूप वाहनों का आगमन।
- वाहन ईंधन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रति माह 100 किलोलीटर से अधिक गैसोलीन बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों और 1 लाख से 1 मिलियन के बीच की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक गैसोलीन बेचने वाले पेट्रोल पंपों में वाष्प पुनः प्राप्ति प्रणाली (वीआरएस) की स्थापना।
- भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (ईएमपीएस 2024) योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना
- किफायती परिवहन के लिए सतत वैकल्पिक (एसएटीएटी) को संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए बाजार में सीबीजी उपलब्ध कराने की पहल के रूप में शुरू किया गया है।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना।
- लेन-ड्राइविंग के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (आईटीएस) की शुरुआत / यातायात आंदोलनों में सिंक्रनाइज़ेशन।
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन के लिए एक सक्षम ढांचा बनाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) और स्वचालित परीक्षण प्रणाली (एटीएस) की स्थापना पर अधिसूचनाएं जारी की हैं।
- सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा देश भर में प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र प्रणाली कार्यक्रम में सुधार और मजबूती ।

2.0 उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु किए गए उपाय :

- निगरानी तंत्र को मजबूत करने और स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए, सीपीसीबी ने सभी 17 श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषित उद्योगों को ओसीईएस स्थापित करने का निर्देश दिया। उद्योगों की 17 श्रेणियों के तहत 4,322 इकाइयां हैं, जिनमें से 3,744 इकाइयों ने ओसीईएस स्थापित किया है और 578 इकाइयों के लिए बंद करने के निर्देश अभी भी लागू हैं।
- वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और धातु उद्योगों में ओसीईएमएस और पीटीजेड इंस्टॉलेशन और सीपीसीबी सर्वर से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली एनसीआर के एसपीसीबी / पीसीसी को 09.10.2025 को निर्देश जारी किए गए।
- सीपीसीबी ने दिनांक 12.02.2025 के निर्देश के अनुसार कुल 419 सेक्टरों और उप- को रेड (125), ऑरेंज (137), ग्रीन (94), व्हाइट (54) और ब्लू (9) में वर्गीकृत किया है।

- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-1: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक' के तहत उद्योग विशिष्ट निर्वहन मानकों को अधिसूचित करता है। अब तक, 79 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय मानक (56 क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों सहित) अधिसूचित किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र, जिनके लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।
- अनुमत प्रक्रियाओं में उपयोग के अपवाद के साथ 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध।
- डीजल पावर जेनरेटिंग सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया के साथ सीपीसीबी आया है।
- वर्ष 2022 में, सीपीसीबी ने अनिवार्य किया कि नए ईंट भट्टों को ज़िग-ज़ैग तकनीक, वर्टिकल शाफ्ट या पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए, और विशिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। साथ ही, मौजूदा भट्टियों को भी इन प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित होना चाहिए या अनुमोदित ईंधन का उपयोग करना चाहिए।
- वर्ष 2023 में, सीपीसीबी ने 800 किलोवाट तक के डीजल जनरेटर (डीजी सेट) के लिए सख्त उत्सर्जन मानक (सीपीसीबी IV+) पेश किए, जिसमें दोहरे ईंधन प्रणाली (70% गैस, 30% डीजल) की आवश्यकता होती है जहां गैस अवसंरचना उपलब्ध है और न्यूनतम 70% पीएम कैप्चरिंग दक्षता के साथ रेट्रो-फिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) की आवश्यकता होती है।

3.0 वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) वर्ष 2015 में शुरू किया गया। वायु गुणवत्ता से संबंधित जानकारी प्रतिदिन जारी किए जाने वाले वायु गुणवत्ता बुलेटिन के माध्यम से आम जनता तक पहुँचाई जाती है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क: देश में 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के 583 शहरों में कुल 1597 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (562 निरंतर और 1035 मैनुअल) का नेटवर्क स्थापित है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा एक केंद्रीकृत वायु गुणवत्ता निगरानी पोर्टल संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से प्रति घंटे PM सांद्रता, निगरानी स्टेशनों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा तथा लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की निगरानी की जाती है।
- सीपीसीबी की वेबसाइट पर प्रतिदिन एक्यूआई बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें देशभर के शहरों के लिए एक्यूआई संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

4.0 सी एंड डी अपशिष्ट और एमएसडब्ल्यू

- सीपीसीबी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं (सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)
 1. निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट का पर्यावरण प्रबंधन मार्च, 2017 में

2. निर्माण सामग्री और सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन में धूल कम करने के उपायों पर दिशानिर्देश नवंबर 2017 में।
3. खुले में आग जलाने और लैंडफिल की आग का समाधान करने के लिए जैव-खनन और जैव-उपचार द्वारा पुराने अपशिष्ट का निपटान।

- सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी / पीसीसी को 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण परियोजनाओं / स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन की तैनाती और धूल कम करने के लिए पर्याप्त उपायों के कार्यान्वयन का निर्देश दिया है।
- सीपीसीबी ने निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं में एंटी-स्मॉग गन के उपयोग के लिए दिशानिर्देश/तंत्र जारी किया है।
- जनवरी 2021 के दौरान विरासत अपशिष्ट के जैव खनन के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियम-2016 के प्रावधानों को लागू करने के लिए सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश जारी किए।
- सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी/पीसीसी को मई 2022 के दौरान एमएसडब्ल्यू डंपसाइटों पर आग लगने की घटनाओं के संबंध में एसडब्ल्यूएम नियम-2016 के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए।

5.0 नियमित हितधारक परामर्श, सार्वजनिक और मीडिया आउटरीच

- सीपीसीबी ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, अर्थात समीर, जहां एक्यूआई सहित विभिन्न मापदंडों का वास्तविक समय परिवेश वायु गुणवत्ता डेटा भी दिया गया है। समीर ऐप एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने में जनता की सुविधा भी प्रदान करता है और ऐसी शिकायतें विभिन्न स्थानीय एजेंसियों को सौंपी जाती हैं।
- सार्वजनिक पहुंच के लिए समर्पित मीडिया कॉर्नर, ट्विटर और फेसबुक खाते भी बनाए गए हैं।
- एसएएमईईआर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत निवारण की निगरानी की जाती है और संबंधित एजेंसियों के साथ निवारण की स्थिति साझा की जाती है।
- दैनिक एक्यूआय स्थिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती है। विभिन्न अभियान और वायु प्रदूषण, पटाखे, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, पराली जलाना, टिकाऊ जीवन शैली आदि से संबंधित जानकारीपूर्ण पोस्ट भी नियमित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं।
- सीपीसीबी दिल्ली और एनसीआर शहरों के एक्यूआई, तुलनात्मक एक्यूआई स्थिति, पीएम सांद्रता के वर्ष-वार रुझान, दिन के लिए हॉटस्पॉट, एएफई गणना, पराली जलाने का योगदान और मौसम पूर्वानुमान सहित एक दैनिक रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट आईएमडी, सफार, आईएआरआई आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

अनुलग्नक-II

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों में स्वीकृत, भरे हुए तथा रिक्त पदों का राज्य-वार विवरण (30.11.2025 तक)

क्र.सं.	सीपीसीबी /एसपीसीबी का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्तियाँ
1.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	669	466	203
2.	आंध्र प्रदेश	293	117	176
3.	अरुणाचल प्रदेश	27	27	0
4.	असम	264	215	49
5.	बिहार	72	5	67
6.	छत्तीसगढ	328	119	209
7.	गोवा	159	130	29
8.	गुजरात	794	289	505
9.	हरियाणा	448	289	159
10.	हिमाचल प्रदेश	375	241	134
11.	झारखंड	271	24	247
12.	कर्नाटक	723	255	468
13.	केरल	425	372	53
14.	मध्य प्रदेश	1220	406	814
15.	महाराष्ट्र	839	458	381
16.	मणिपुर	119	40	79
17.	मेघालय	155	99	56
18.	मिजोरम	24	18	6
19.	नगालैंड	17	17	0
20.	ओडिशा	463	180	283
21.	पंजाब	652	572	80
22.	राजस्थान	822	555	267
23.	सिक्किम	11	09	02
24.	तमिलनाडु	1017	558	459
25.	तेलंगाना	230	115	115
26.	त्रिपुरा	29	20	9
27.	उत्तराखंड	103	23	80
28.	उत्तर प्रदेश	732	372	360
29.	पश्चिम बंगाल	309	171	138
30.	अंडमान और निकोबार	5	5	0
31.	चंडीगढ़	8	7	1
32.	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	2	2	0
33.	दिल्ली	344	282	62
34.	जम्मू एवं कश्मीर	445	258	187
35.	लद्दाख	2	2	0
36.	लक्षद्वीप	5	5	0
37.	पुदुचेरी	10	7	3

के.प्र.नि. बोर्ड के लिए उपलब्ध करवाए गए आंकड़े दिनांक 27.02.2026 तक के लिए, असम के लिए दिनांक 11.03.2026 तक, मेघालय के लिए दिनांक 11.03.2026 तक और उड़ीसा के लिए दिनांक 28.02.2026 तक के लिए हैं।
